

जरिये ई-मेल

कार्यालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बून्दी (राजस्थान)

क्रमांक: स्था./2026/58

दिनांक: 07.09.2026

संशोधित आदेश

इस कार्यालय के पूर्व आदेश क्रमांक स्था0/2026/50 दिनांक 24-07-2026 के अनुसार दिनांक 12-09-2026 एवं 13-09-2026 के राजपत्रित अवकाश के दौरान जे.सी./पी.सी. रिमाण्ड, प्रोटोकॉल एवं अन्य आवश्यक न्यायिक कार्य सम्पादित करने हेतु सुश्री तनु वर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट, बून्दी तथा दिनांक 20-09-2026 एवं 21-09-2026 के राजपत्रित अवकाश के दौरान उक्त कार्यों के सम्पादन हेतु श्री आशीष कुमार परेवा, न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या-1, बून्दी की इयूटी लगाई गई थी।

प्रशासनिक कारणों से उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए दिनांक 12-09-2026 एवं 13-09-2026 के राजपत्रित अवकाश के दौरान जे.सी./पी.सी. रिमाण्ड, प्रोटोकॉल एवं अन्य आवश्यक न्यायिक कार्य सम्पादित करने हेतु श्री आशीष कुमार परेवा, न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या-1, बून्दी तथा दिनांक 20-09-2026 एवं 21-09-2026 के राजपत्रित अवकाश के दौरान उक्त कार्यों के सम्पादन हेतु सुश्री तनु वर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट, बून्दी की इयूटी लगाई जाती है।

इसके अतिरिक्त श्रीमान जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बून्दी के पत्र क्रमांक: स्था0/2026/403 दिनांक 07.09.2026 के निर्देशानुसार बून्दी मुख्यालय पर नगर परिषद, बून्दी एवं बून्दी मुख्यालय से बाहर स्थित मुख्यालयों के नगर पालिका क्षेत्रों इन्द्रगढ़ व केशवरायपाटन में दिनांक 09 सितम्बर, 2026 (बुधवार) को स्थानीय निकायों के आम चुनाव होने से तथा नगर पालिका क्षेत्रों नैनवां, लाखेरी व हिण्डोली में दिनांक 11 सितम्बर, 2026 (शुक्रवार) को स्थानीय निकायों के आम चुनाव होने से उक्त मुख्यालयों पर स्थित न्यायालयों/कार्यालयों में मतदान दिवस को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है।

उक्त सार्वजनिक अवकाश के दौरान दिनांक 09-09-2026 को जे.सी./पी.सी. रिमाण्ड, प्रोटोकॉल एवं अन्य आवश्यक न्यायिक कार्य सम्पादित करने हेतु श्रीमती नताशा चौधरी, न्यायिक मजिस्ट्रेट, तालेड़ा की इयूटी लगाई जाती है। दिनांक 11-09-2026 को नैनवां, लाखेरी एवं हिण्डोली में घोषित सार्वजनिक अवकाश के दौरान उक्त स्थानों पर स्थित न्यायालयों के जे.सी./पी.सी. रिमाण्ड एवं अन्य आवश्यक न्यायिक कार्य लिंक न्यायालय द्वारा सम्पादित किये जायेंगे। शेष रिमाण्ड इयूटी संबंधी आदेश पूर्ववत् प्रभावी रहेगा।

(संक्र 2541)
07/09/26
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
बून्दी (राजस्थान)

क्रमांक : सामान्य/2026/ 1701-1708

दिनांक : 07/09/26

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- (1) श्रीमान् जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, बून्दी।
- (2) जिला पुलिस अधीक्षक, बून्दी को प्रतिलिपि प्रेषित कर लेख है कि सभी आरक्षी केन्द्रों के थानाधिकारियों को जे.सी./पी.सी. रिमाण्ड व अन्य आवश्यक न्यायिक कार्यों के लिये उपर्युक्त तिथियों में नियत समयावधि में पहुँचना सुनिश्चित करें।
- (3) संबंधित पीठासीन अधिकारी/संबंधित न्यायालय।
- (4) जिला आबकारी अधिकारी, बून्दी को प्रतिलिपि प्रेषित कर लेख है कि अपने अधीन कार्यरत वृत्त निरीक्षक, प्रहराधिकारी, भारसाधक अधिकारी, आबकारी थाना को जे.सी./पी.सी. रिमाण्ड व अन्य आवश्यक न्यायिक कार्यों के लिये उपर्युक्त तिथियों में नियत समयावधि में पहुँचना सुनिश्चित करें।
- (5) पुलिस कंट्रोल रूम/ए.डी.पी. ऑफिस बून्दी।
- (6) उपाधीक्षक, जिला कारागृह, बून्दी।
- (7) अध्यक्ष, अभिभाषक संघ, बून्दी।
- (8) सिस्टम अधिकारी, कम्प्यूटर शाखा, बून्दी को प्रतिलिपि भेजकर लेख है कि वह इस मैसेज को जिला न्यायालय की वेब साईट पर अपलोड करें।

(जंशुर अहमद)
07/09/26
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
बून्दी (राजस्थान)